

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
 पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025 शिविर- चौला

प्रकरण संख्या:- 67/2025

दिनांक:- 26/6/2025

उपखण्ड

श्री पांथोडेकी पत्नी स्व.  
 उडा गुर्जर

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
 चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई मा



:: आदेश ::

प्राथी के खाता वरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का चौला भू. अ. नि. 310 क. ला एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम 200 पुर 40 ह 0 चौला की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 170 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	सम्बन्ध में अशुद्धि	पांथोडेकी पुरी उडा गुर्जर	पांथोडेकी पत्नी स्व. उडा गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी  
 चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)

प्रतिदिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्राथी श्री पांथोडेकी पत्नी स्व. उडा गुर्जर ।
3. रक्षित पत्रावली ।



उपखण्ड अधिकारी  
 चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)